छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU), छत्तीसगढ़ राज्य का शासकीय विश्वविद्यालय है, जो 21 जनवरी 2005 को एक विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी को शामिल करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो अनुसंधान, स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, आर्किटेक्चर, फार्मेसी सहित इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों में व्यवस्थित, कुशल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

वर्ष 2005 में अपनी स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय राज्य और राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में उभरने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। पूर्ण विकसित बुनियादी ढांचे के विकास की प्रतीक्षा किए बिना विश्वविद्यालय ने समाज के लाभ के लिए अनुसंधान, विकास और बाहरी कार्यक्रमों की सीमा क्षेत्र की पहचान करना शुरू कर दिया। इस दृष्टिकोण के साथ विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान कई शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन किया गया है।

वर्तमान में 44 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 आर्किटेक्चर संस्थान, 40 पॉलिटेक्निक और 11 फार्मेसी कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए विभिन्न सुधारकारी उपायों के लिए 30 दिसंबर, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित 'विश्व प्रबंधन कांग्रेस' - उच्च शिक्षा और विकास शिखर सम्मेलन में "Emerging Technological University of the Year" पुरस्कार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है - जिसने वास्तव में शैक्षणिक मानकों के उन्नयन के वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में विश्वविद्यालय की दृश्यता में वृद्धि के लिए एक और नया आयाम जोड़ा है।

संपर्क सूत्र एवं कोर्स की जानकारी

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए

स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु

(An initiative of CSVTU for Skill Development)

CSVTU Old Campus
North Park Avenue
Sector - 8, Bhilai
Chhattisgarh, 490009

Phone : 9893588733
E-mail : svyksetu@gmail.com
svyks.info@gmail.com
Website: www.svyks.in

स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु

छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग अनौपचारिक प्रणाली (Informal System) से कौशल प्राप्त करते हैं | अनौपचारिक प्रणाली से कौशल एवं ज्ञान प्राप्त करने का तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है - जिसमें व्यक्ति किसी प्रकार का कौशल, प्रचलित शिक्षा प्रणाली अर्थात विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय इत्यादि से ना सीखकर ऐसे स्थानों से अर्जित करता है जो उसे उसके स्थानीय स्रोतों अथवा कार्यस्थल से प्राप्त होता है | उदाहरण के तौर पर अपने परिवार से परंपरागत कौशल सीखना, कार्यस्थल पर कार्य करते हुए कौशल प्राप्त करना, किसी प्रशिक्षण संस्थान से जुड़कर किसी तरह का कौशल प्राप्त करना इत्यादि | अनौपचारिक प्रणाली व्यवस्थित, सुनियोजित तथा संस्थागत नहीं होती है, इन्हीं मुख्य कारणों से इस प्रणाली से प्राप्त कौशल की मान्यता स्थापित नहीं हो पाती तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं हो पाता है |

ऐसे वर्ग को चिन्हांकित करते हुए तथा सीधे मूल्यांकन व प्रमाणीकरण प्रणाली से जोड़ते हुए, कौशल का मूल्यांकन कर सफल युवाओं को प्रमाणित करने की आवश्यकता है |

इस हेतु "छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU)" द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ ही साथ अनौपचारिक प्रणाली अंतर्गत "स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु (SVYSK)" के माध्यम से कौशल प्रमाणन की योजना बनाई है | "स्वामी विवेकानंद युवा कौशल सेतु अनौपचारिक रूप से कुशल" व्यक्तियों के कौशल प्रमाणन हेतु मंचस्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय की एक पहल है, जो सभी को उनके पहले से सीखे कौशल (Recognition of prior learning, RPL) का प्रमाणन कर प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी |

CSVTU द्वारा यह देश मे अपने तरह की प्रथम पहल है, जो कि राष्ट्रीय अर्हता कौशल फ्रेमवर्क (National Skill Qualification Framework, NSQF) अधिसूचना भारत के गजेटियर भाग1, खण्ड 2 संख्या 19 नयी दिल्ली शुक्रवार (27 दिसंबर 2013) के अनुसार निर्देशित विभिन्न कौशल एवं शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण मानकीकरण व अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता वैश्विक प्रमाणन की सर्वमान्य स्वीकारिता के अनुरूप है |

सामाजिक स्तर पर इस योजना का महत्व

- **"स्वाभिमान का उद्गम"**
  गर्व से वह कह पायेंगे अब हम अशिक्षित व अकुशल नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में कौशल कुशल प्रमाणिक व्यक्ति हैं |

- **"समरूपता का भाव"**
  अब ना कहलायेगा वह अशिक्षित व अकुशल बल्कि कहलायेगा प्रमाणिक कौशल कुशल

  यह समाज में "अशिक्षित व अकुशल – पढ़ा लिखा" यह भाव खत्म करते हुए समरूपता का भाव जागृत करने में भी सहायक सिद्ध होगा |

- अनौपचारिक प्रणाली गैर परंपरागत प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सामर्थ्य तो देती है किंतु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अधिकृत प्रमाण पत्र प्रदान करने में असमर्थ है, जिससे प्रतिभावान व योग्य व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं| अत: विश्वविद्यालय की इस योजना से उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु नए मार्ग प्रशस्त हो पाएंगे |

- अनौपचारिक प्रणाली के प्रशिक्षण संस्थान या स्वयं प्राप्त कौशल को व्यक्ति सीधे इस योजना के माध्यम से CSVTU अधिकृत परीक्षा केंद्र में प्रतिभागी बनकर व सफल होने पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएँगे |

Recognition of Prior Learning (RPL) क्या है ?

RPL किसी व्यक्ति द्वारा अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से अर्जित कौशल व ज्ञान को मान्यता देने की प्रक्रिया है | इस प्रक्रिया में अर्जित कौशल व ज्ञान का स्रोत अर्थात इसे कब, कहाँ और किस माध्यम से अर्जित किया गया यह महत्वपूर्ण नहीं होता |
सरल शब्दो मे RPL वह प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवनकाल में किसी भी माध्यम से अर्जित ज्ञान व कौशल को प्रमाणित करता है |

RPL किसी भी तरह के कौशल व ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को अपने कौशल को अधिकारिक रूप से प्रमाणिक बनाने तथा इसे योग्यता के रूप में मान्यता दिलाने का अवसर प्रदान करती है |

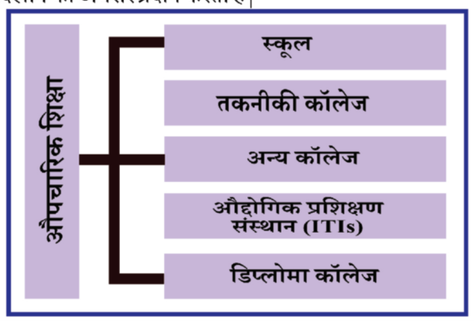

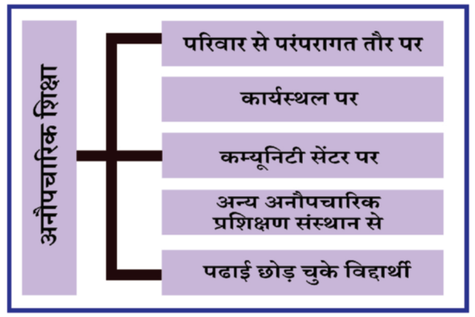

National Skill Qualification Framework (NSQF) क्या है ?

राष्ट्रीय कौशल अर्हता अथवा NSQF ज्ञान व कौशल के स्तरों के अनुसार योग्यता निर्धारण मानक है |
NSQF के 10 स्तर होते है | जिसमे से स्तर "1" इस प्रणाली में योग्यता का सबसे कम या न्यूनतम स्तर दर्शाता है तथा स्तर "10" सर्वाधिक योग्यता या उच्चतम स्तर का घोतक है |

RPL के लाभ

- व्यक्तियों को उनके कौशल व योग्यतानुसार उचित मानदेय और पारिश्रमिक प्राप्त करने में मदद करेगा |
- स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंक/वित्तीय संस्थानों से लोन, मुद्रा लोन, अनुदान इत्यादि प्राप्त करना सरल होगा |
- कार्यस्थल पर आकस्मिक दुर्घटना होने पर पीड़ितकर्मचारी को सही मुवावजे/बीमा राशी एवं अन्य सुविधाएँ मिल पाएगी |
- वे शासन की बहुत सी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ ले पायेंगे |
- शासकीय व अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों मे रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ जायेंगे|
- स्वयं के अर्जित कौशल के क्षेत्र में उच्च कौशल व ज्ञान प्राप्त करने के नए मार्ग प्रशस्त होंगे |

(RPL) की प्रक्रिया

RPL किसी व्यक्ति के कौशल या ज्ञान का आंकलन करने की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है मूल्यांकन के अन्य रूपो के विपरीत यह किसी की सक्षमता का आंकलन केवल उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर नहीं करता है | हालांकि यह प्रक्रिया का एक हिस्सा अवश्य बन सकता है | वास्तव में RPL लोगो को यह प्रदर्शित करने का अवसर देता है की वे विशिष्ट कार्य करने में सक्षम है जो उन्होंने कौशल और ज्ञान के प्रमाण के तौर पर अपने जीवन भर में प्राप्त किया है |

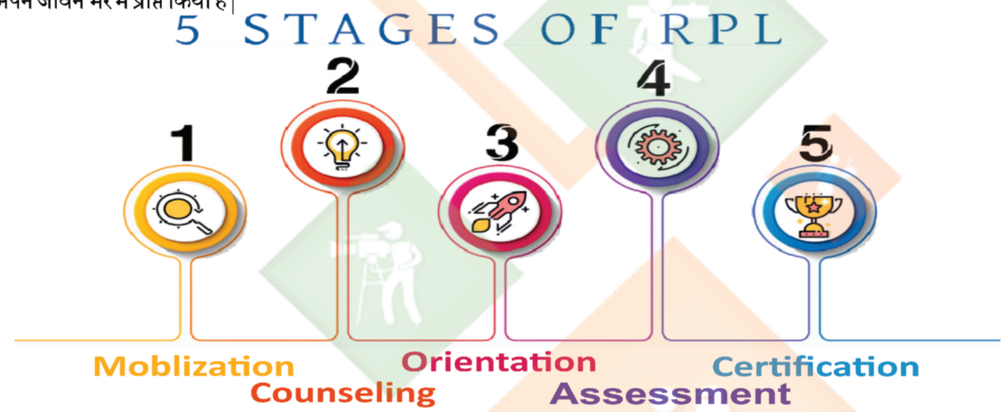

1 मोबिलाईजेशन - संभावित उम्मीदवारों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रो तक पहुचाने की गतिविधि है |
2 रजिस्ट्रेशन - उम्मीदवार द्वारा सही पाठ्यक्रम के चुनाव हेतु काउंसलिंग व प्री - स्क्रीनिंग करने के पश्चात् पंजीकरण की प्रक्रिया है |
3 ओरिएंटेशन ट्रेनिंग - इसमें चुने हुये कौशल तथा मूल्यांकन प्रक्रिया से सम्बंधित 12 घंटे का ओरिएंटेशन प्रशिक्षण शामिल है |
4 एसेसमेंट - एसेसमेंट में किसी व्यक्ति के कौशल का सही मूल्यांकन करने की गतिविधियों की श्रृंखला शामिल है |
5 सर्टिफिकेशन - मूल्यांकन के बाद सफल उम्मीदवारों का प्रमाणीकरण सम्पूर्ण होता है |

कौन लाभ प्राप्त कर सकता है ?